RPNo. 2783
1-10-12

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ 7548 जयपुर, दिनांकः 20-9-12

कार्यालय आदेश

विषयः—राज्य के विभिन्न नगर विकास न्यासों एवं नगरीय निकायों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ संबंधी कार्यो रूपान्तरण/नियमन हेतु नये प्रावधान 90–A एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत डेडीकेटेड कन्सटेण्टस द्वारा किये जा रहे कार्यो को गति दिये जाने के संबंध मे।

O/C (web.)
1-10-12

राज्य सरकार द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत धारा 90– A के तहत नये प्रावधान/नियम जारी किये गये है एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो में कृषि भूमि पर बसी अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमन एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यो हेतु डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस की सेवाऐं लिये जाने हेतु आदेश दिनांक 21.09.2011, 30.09.2011, 26.06.2012 एवं 01.08.2012 एवं 08.082012 के तहत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।

उक्त कार्यो में आ रही समस्याओं एवं शंकाओ का समाधान कर कार्यो में गति प्रदान करने की दृष्टि से समस्त नगर विकास न्यासों एवं नगरीय निकायों की निम्नानुसार संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः—

क्र0स0	संभाग मुख्यालय	दिनांक	कार्यशाला स्थल	दल
1.	उदयपुर	26.09.2012	नगर परिषद –उदयपुर	द्वितीय दल
2.	जयपुर	01.10.2012	स्वायत्त शासन विभाग सभागार जयपुर	संयुक्त रूप से
3.	कोटा	03.10.2012	नगर विकास न्यास , कोटा	द्वितीय दल
4.	बीकानेर	07.10.2012	नगर परिषद , बीकानेर	द्वितीय दल
5.	जोधपुर	08.10.2012	नगर निगम, जोधपुर	प्रथम दल
6.	अजमेर	09.10.2012	नगर सुधार न्यास , अजमेर	प्रथम दल
7	भरतपुर	11.10.2012	नगर सुधार न्यास, भरतपुर	द्वितीय दल

उक्त कार्यशाला में राज्य सरकार की ओर से **प्रथम दल**—श्री एन0एल0मीणा—शासन उप सचिव प्रथम, नगरीय विकास विभाग एवं श्री ताराचन्द्र मीणा—निदेशक स्थानीय निकाय विभाग व प्रदीप कपूर वरिष्ठ नगर नियोजक तथा **द्वितीय दल**—जिसके सदस्य श्री आर. के. पारीक, शासन उप सचिव द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, श्री मनीष गोयल, अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग एवं श्री आर0के0 विजयवर्गीय, वरिष्ठ नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमानुसार प्रस्तुतीकरण एवं समस्याओं/शंकाओं का समाधान किया जावेगा। कार्यशाला में राज्य की समस्त नगर विकास न्यासों के सचिव, प्राधिकृत अधिकारी, नगर नियोजक/जिला नगर नियोजक, समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक स्वायत्त शासन विभाग एवं डेडीकेट कन्सलटेण्ट्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगे।

समस्त सम्बन्धित को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि कार्यशाला में विषय से सम्बन्धित समस्त सूचना, प्रगति एवं आ रही समस्याओं की सूची सहित पूर्ण तैयारी से भाग लेवें।

निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन
जयपुर

शासन उप सचिव (द्वितीय)
नगरीय विकास विभाग
जयपुर

क्रमांकः प.1 0(228)नविवि/3/10/7549-7596 दिनांक : 20.09.12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर
4. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)।
5. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, (एनसीआर) जयपुर।
9. निदेशक, (आयोजना) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10. निदेशक, (प्रोजेक्ट) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर
12. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.टी. जयपुर
13. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आईएफ.डी.सी.ओ.ए. जयपुर
14. वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय) स्वायत्त शासन विभाग
15. श्री एच.एस. संचेती, प्रमुख सलाहकार
16. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
17. मुख्य अभियन्ता (मु.) नगरीय विकास विभाग, नगर विकास न्यास, कोटा
18. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग
19. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश एंव संलग्नक सूची को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
20. सुरक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक